(138

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर {म0प्र0}

नि-943-II-16

श्री ज्ञानी वकील द्वारा प्रस्तुत 17/3/16

काशीराम अहिरवार वल्द पूरन अहिरवार

साकिन ग्राम पुरैनिया, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-- निगरानीकर्ता/आवेदक

।। विरुद्ध ।।

म0 प्र0 शासन -- उत्तरवादी

आवेदन/ निगरानी-अन्तर्गत धारा - 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता :-

न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रं - 67/बी-121/वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 29/08/2013 के पालनार्थ में संबंधित राजस्व रिकार्डों में अमल बावत/दर्ज बावत :-

17/3/16

17-3-16

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1{ यह कि आवेदक को उसके आवेदन अनुसार तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रं 396/अ-19{ब}/2002-2003 में पारित आदेश दि0 08/06/2003 के अनुसार मौजा स्थित लहरबुजुर्ग भूमि खसरा नंबर 458/1 रकबा 0.311 हे0, खसरा नंबर 411 रकबा 0.466 हे0 एवं खसरा नंबर 599/2 रकबा 0.246 हे0 व्यवस्थापन द्वारा भूमि स्वामी घोषित किया गया था ।

2{ यहकि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां धारा 32 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 के तहत आवेदन दिया कि तहसील दार के प्रकरण क्रमांक 396/अ-19{ब}/2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 08/06/2003के तहत उसे मौजा स्थित लहरबुजुर्ग खसरा नंबर क्रमशः 458/1 रकबा 0.311 हे0 खसरा नंबर 411 रकबा 0.466 हे0 एवं खसरा नंबर 599/2 रकबा 0.246 हे0 भूमि स्वामी घोषित किया था । अतः उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावें ।

3{ यहकि, अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ का मूल प्रकरण का अवलोकन एवं पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण क्रमांक - 67 बी-121/ वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 29/08/2013 पारित किया लेकिन उक्त दोनों आदेशों का अमल संबंधित राजस्व अभिलेखों में आज दिनांक तक नहीं किया गया हैं ।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 943-दो/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश -1-	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
17-3-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 67/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 का तहसीलदार पलेरा व्दारा पालन न करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 396 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 8-6-2003 से आवेदक के हित में ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे कमांक 458/1 रकबा 0.311 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 411 रकबा 0.466 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की एंव पटवारी अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये गये , परन्तु हलका पटवारी ने शासकीय अभिलेख में अमल नहीं किया, जिसके कारण आवेदक ने अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर तहसीलदार के आदेश का अमल कराने की प्रार्थना की। इस आवेदन पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 67/2012-13 बी - 121 पंजीबद्ध किया तथा तहसीलदार के प्रकरण की जॉच कर आदेश दिनांक 29-8-2013 पारित किया एंव उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार पलेरा ने अपर कलेक्टर के उक्तादेश का पालन नहीं कराया, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा	

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 67/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक के हित में तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक 396 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 8-6-2003 से ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 458/1 रकबा 0.311 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 411 रकबा 0.466 हैक्टर म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की है जिसका अमल अभिलेख में नहीं किया गया है एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 67/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 से उक्तांकित भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये है इसके वाद भी तहसीलदार पलेरा ने उक्तादेश का अमल नहीं कराया है जो न्यायहित में उचित नहीं माना जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 67/2012-13 बी - 121 में पारित आदेश दिनांक 29-8-2013 अनुसार ग्राम लहर बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 458/1 रकबा 0.311 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 411 रकबा 0.466 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज कराया जावे।

सदस्य